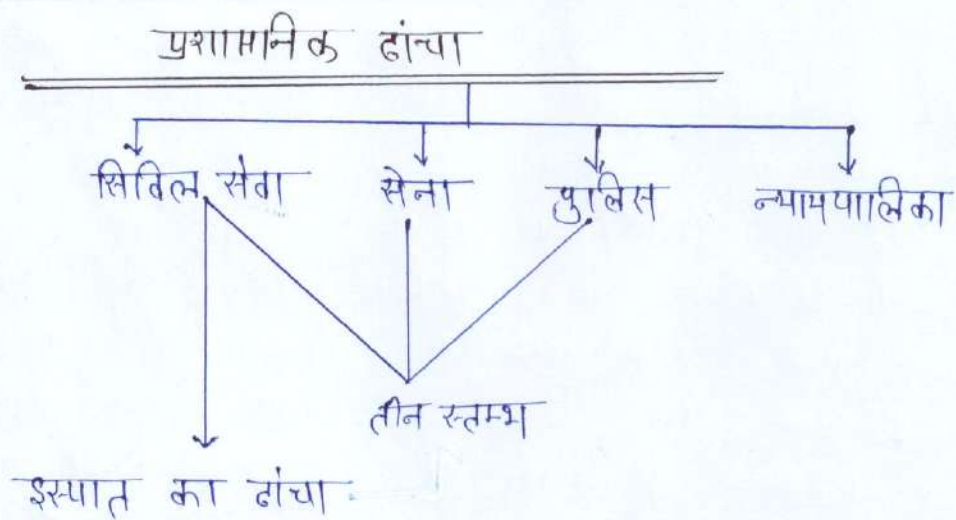




तथ्यात्मक जानकारी :-

पुलिस :-

- वारेन हेस्टिंग्स ने ^{आबूज एवं अमरावती जनातल २८वने} ¹ की जिम्मेदारी जमींदारों को सौंपी।
- कार्नवालिस ने पुलिस स्टेशन की स्थापना की और इसका प्रमुख दरोगा को बनाया।
- सिंध के विलय के पश्चात पदसोपान पर आधारित आधुनिक पुलिस प्रशासन की नींव रखी गई जिसपर आयरलैंड के पुलिस प्रशासन का प्रभाव था।
- इसको आधार बनाते हुए 1861 में शरियन पुलिस एक्ट पारित किया गया कुछ संशोधनों के साथ यह अधिनियम आज भी प्रभावी है।

• 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया।

सेना :-

- कंपनी के काल में सेना में क्राउन एवं डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त सैनिक के साथ-साथ भारतीय सैनिकों का भी शामिल किया गया।
- ऐसा माना जाता है कि स्ट्रिंजर लॉरेंस ने सर्वप्रथम भारतीय सैनिकों को सेना में शामिल किया।

नोट :-

वेतन भोगी नियमित सैनिक के रूप में सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने भारतीयों को 1710 के दशक में सेना में शामिल करना प्रारम्भ किया।

- 1854 तक भारत में लगभग तीन लाख ग्यारह हजार सैनिक थे जिसमें लगभग 45 हजार ही अंग्रेज थे।
- सैनिकों में क्षेत्रीय निष्ठा को प्रयत्न प्रोत्साहित किया जाता था।
- 1854 के बिरोह के पश्चात् सेना में पुनर्गठन के लिए सील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसा पर सेना में कई परिवर्तन किए गए जैसे- अंग्रेजों की संख्या बढ़ायी गयी (लगभग 65 हजार),

सैनिक रेजिमेंट को मिश्रित स्वरूप का बनाया गया।

- कंपनी की सेना को समाप्त कर दिया गया और सैनिकों का विलय ब्रिटिश सेना में कर दिया गया।

सिविल सेवा :-

- कार्नवालिस को आधुनिक सिविल सेवा को प्रारम्भ करने का श्रेय दिया जाता है, ¹⁷⁹³ सिविल सेवकों की नियुक्ति प्रसाविदा के आधार पर की जाने लगी।
- कार्नवालिस ने 1500 रुपये मासिक वेतन और रखरखाव वाली का 1 प्रतिशत सिविल सेवकों को दिए जाने का प्रावधान किया।
- कार्नवालिस ने सिविल सेवकों या कलेक्टरों के न्यायिक कार्यों को अलग किया। (शक्ति का पृथक्करण)
- सिविल सेवकों को भारत में प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का गठन किया गया।
- हालांकि कुछ वर्षों के पश्चात इसे बंद कर दिया गया और 1806 से ब्रिटेन के हैलीबरी में ईस्ट इण्डिया कॉलेज में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा।

- 1853 के चार्टर अधिनियम में प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन का प्रावधान किया गया।
 - 1854 से प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई
- नोट :

परीक्षा का आयोजन केवल ब्रिटेन में, अधिकतम उम्र 23 वर्ष, अंग्रेजी के साथ-साथ ग्रीक एवं लैटिन भाषाओं का ज्ञान भी आवश्यक था।

- 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पारित किया गया।
- 1863 में सत्येन्द्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया।
में प्रवेश
- 1878 में सिविल सेवा की अधिकतम उम्र 19 वर्ष रखी गई।
- 1896 में सिविल सेवा पर एक रजिस्ट्रार समिति बनाई गई।
- 1919 के अधिनियम में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी कराने का प्रावधान किया गया।
- 1922 में इलाहाबाद में सर्वप्रथम इस परीक्षा का आयोजन किया गया।

• 1924 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'सी' आयोग का गठन।

इसमें सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ाकर कमरा 50% करने का सुझाव दिया

• 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन भारत में किया गया।



ब्रिटिश काल में न्यायपालिका

• क्रमशः विकास :-

• वारेन हेस्टिंग्स - बंगाल में सदर फौजदारी एवं सदर दीवानी अदालत की स्थापना।

- जिला स्तर पर भी फौजदारी एवं दीवानी अदालत की स्थापना।

• कार्नवालिस :- सदर अदालत एवं जिला अदालत दोनों के महम में सकल न्यायपालिका एवं प्रांतीय न्यायपालिका का गठन किया। जिला दीवानी अदालत के नीचे रजिस्ट्रार एवं मजिस्ट्रेट की अदालत (दीवानी एवं फौजदारी दोनों में)

- कलेक्टर को न्यायिक कार्यों से भलग किया।
- फौजदारी मामलों में इस्लामीक कानूनों के स्थान पर आधुनिक कानून का समर्थन किया।
- कार्नवालिस के उपरोक्त सुधारों को कार्नवालिस कोड भी कहा जाता है

बिलियम लैटिक :- उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के लिए
इलाहाबाद में पृथक सदन भेदात ।

- फारसी भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओं को भी उपयोग में लाने का समर्थन किया ।
- मजिस्ट्रेट एवं निचले स्तर पर अनन्याधिक पदों पर भारतीयों को महत्व दिया जाने लगा
- आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए विधि भाषा का गठन ।
कैनिंग → 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया ।
सदन, दीवानी एवं फौजदारी भेदात को समाप्त कर कलकता (प्रथम), बम्बे एवं मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन 1862 ई. में किया गया ।
- 1935 के अधिनियम में भारत में हाईकोर्ट से ऊपर संघीय न्यायालय का गठन किया गया जिसे स्वतंत्रता के पश्चात उच्चतम न्यायालय कहा गया ।